

## राजनीतिक दलों की मान्यता की समाप्ति और उनका वपिंजीकरण

हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने [भारत नरिवाचन आयोग \(ECI\)](#) से आंध्र प्रदेश के एक राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त नहीं करने का अनुरोध किया।

### राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करने का अर्थ:

#### ■ परिचय:

- मान्यता समाप्त करने का अर्थ ECI द्वारा किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करना है।
  - ऐसी पार्टियों को केवल [पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों](#) के रूप में घोषित किया जाता है।
- ECI के पास यह अधिकार है कि भारतीय संविधान या [जन प्रतनिधित्त्व अधिनियम, 1951](#) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर वह किसी भी राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त कर सकता है।
- राष्ट्रीय दल के रूप में किसी राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त करने का आधार (ECI के अनुसार):
  - यदि दल संबंधित राज्य के लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में डाले गए कुल मतों का कम-से-कम 6% मत हासिल करने में विफल रहता है और यदि वह पिछले लोकसभा चुनावों में कम-से-कम 4 सांसदों को नरिवाचति करने में विफल रहता है (साथ ही यह उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट नहीं जीतता है); या
  - यदि उसने कम-से-कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीटें नहीं जीती हैं।
  - यदि यह राज्य के लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 8% हासिल करने में विफल रहता है।
  - यदि पार्टी अपने लेखा-परीक्षण खातों को समय पर ECI को प्रस्तुत करने में विफल रहती है।
  - यदि पार्टी समय पर अपने संगठनात्मक चुनाव आयोजति करने में विफल रहती है।

### मान्यता की समाप्ति और वपिंजीकरण में अंतर:

#### ■ परिचय:

- वपिंजीकरण से तात्पर्य एक राजनीतिक दल के पंजीकरण को रद्द करने से है। हालाँकि ECI के पास पार्टियों को वपिंजकृत करने का अधिकार नहीं है।
- एक बार किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त हो जाने के बाद वह चुनाव नहीं लड़ सकता है।
- किसी राजनीतिक दल के वपिंजीकरण का आधार:
  - किसी पार्टी को नमिनलरिखति आधार पर वपिंजीकृत किया जा सकता है:
    - यदि पार्टी का पंजीकरण गलत तरीके से किया गया हो;
    - इसे केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया हो; या
    - एक पार्टी अपने आंतरिक संविधान में संशोधन करती है और भारतीय नरिवाचन आयोग को सूचित करती है कि वह अब भारतीय संविधान का पालन नहीं कर सकती है।

### जन प्रतनिधित्त्व अधिनियम, 1951:

#### ■ प्रमुख प्रावधान:

- यह चुनावों और उपचुनावों के संचालन को नरिंतरति करता है, चुनाव कराने के लिये प्रशासनिक सुविधाएँ प्रदान करता है, यह राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है, सदनों की सदस्यता के लिये योग्यता और अयोग्यताओं को नरिदषिट करता है, भ्रष्ट प्रथाओं तथा अन्य अपराधों को रोकने का प्रावधान प्रदान करता है।

#### ■ राजनीतिक दलों से संबंधित प्रावधान:

- राजनीतिक दल बनने के लिये प्रत्येक संघ या नकियाय को भारत के नरिवाचन आयोग में पंजीकृत होना चाहिये, जिसका पंजीकरण के संबंध में नरिणय अंतमि होगा।
- वर्तमान नयिम पुस्तिका चुनाव आयोग को पार्टियों को पंजीकृत करने की अनुमति देती है कि पंजीकरण रद्द करने की अनुमति नहीं देती है।
  - जन प्रतनिधित्त्व अधिनियम 1951 में कोई प्रावधान किसी राजनीतिक दल की मान्यता रद्द करने के लिये कोई तंत्र प्रदान नहीं करता है।
    - यह हो सकता है कि संसद ने स्वतंत्र एवं नषिपक्ष चुनाव आयोजति करने के मामले में अपनी स्वतंत्रता तथा

नक्षिपक्षता सुनश्चिचति करने हेतु चुनाव आयोग को यह शक्तदिने से जान-बूझकर इनकार कर दया हो ।

- हालाँकि ECI राजनीतिक दलों के पंजीकरण और अपंजीकरण दोनों को वनियमति करने की शक्तिकी मांग कर रहा है ।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडया

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/derecognition-and-deregistration-of-political-parties-1>

